राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–दीपशिखा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 140/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/229
दायर दिनांक– 10.12.2024
निर्णय दिनांक– 04.06.2025
उनवानी–

1. शक्ति सिंह पुत्र श्योजी सिंह जाति राजपूत
2. हिम्मत सिंह पुत्र श्योजी सिंह जाति राजपूत
   सर्वनिवासी ग्राम तित्यारी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

बनाम

1. श्योजी सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम तित्यारी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
3. उप पंजीयक रूपनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए वाद के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान पुत्रगण है एवं एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण के पड़दादा की खातेदारी की आराजी ग्राम तित्यारी में स्थित थी जो वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता संख्या नया 195 के ख0न0 246/88 क्षेत्रफल 1.9068 है0 जिसमें प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 5547/6356 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है एवं खाता संख्या नया 162 के ख0न0 318/273 क्षेत्रफल 0.2540 है0 जिसमें प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हिस्सा पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज है। वाद वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पड़दादा केशर सिह वल्द मेथसिंह राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा केशर सिंह वल्द मेथसिंह के फोत होने के पश्चात विरासत के नामान्तकरण से अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य वारिसान के नाम इन्द्राज होकर उक्त आराजी पैतृक है जो प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। इस कारण से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है इस प्रकार उक्त ख0न0 246/88 क्षेत्रफल 1.9068 है0 की भूमि में अप्रार्थी संख्या के नाम हिस्सा पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज थी जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा हिस्सा 809/6356 का पूर्व में बैचान रूघनाथ पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी पिंगलोद को कर दिया है जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जरिये स्वीकृत नामा0 संख्या 665 दिनांक 20.11.2024 बैचान से दर्ज हो चुका है तथा उक्त खसरा की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम शेष हिस्सा 5547/6356 दर्ज है। ख0न0 246/88 क्षेत्रफल 1.9068 है0 में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है तथा ख0न0 318/273 क्षेत्रफल 0.2540 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हिस्सा पूर्ण एकल खातेदारी में दर्ज जिसमें प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 2/3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त आराजी में अपना 2/3 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियमो के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हित, स्वत्व निहित होने से खातेदारी उद्घोषणा का अलग से वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या अन्य व्यक्तियों को बैचान करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की जमीन को खुर्द बुर्द करने , प्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अधिकार की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण वाद वर्णित पैतृक आराजी में हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद के इस आशय से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.03 15:14:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

का बैचान, बख्शीश, हस्तान्तरण, रहन, खुर्द बुर्द नहीं करे इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को पावन्द फरमाया जावे जिससे प्रार्थीगण के अधिकार सुरक्षित रह सके। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20.11.2024 को जब उत्पन्न हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त आराजी में रो हिस्सा भूमि का बैचान करने की बात प्रार्थीगण को कही तथा कहा मैने कुछ जमीन का बैचान कर दिया है, तुम इस जमीन पर से तुम्हारा कब्जा हटा लेना यदि तुम्हारे द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया तो मै शेष जमीन को जो मेरे नाम खातेदारी में होने से बैचान कर दूंगा इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यो का दोहरान करते निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वाद वर्णित पैतृक भूमि को बैचान करने पर आमादा हो रखा है इसलिये उन्हे ज़रिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण के हक, अधिकार आदि सुरक्षित रह सके।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त आराजीयात पैतृक भूमि सिद्ध होती है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम तित्यारी के खाता संख्या नया 195 के ख0न0 329/246(मूल खसरा का बंटवारा होने से) क्षेत्रफल 1.6641 है0 व खाता संख्या नया 162 के ख0न0 318/273 क्षेत्रफल 0.2540 है0 भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकार्ड (रहन को छोड़कर) एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को किसी भी तरह का बैचान, बख्शीश, अन्तरण, हस्तान्तरण आदि नहीं करने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

दीपशिखा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepshikha
Date: 2025.07.03 15:14:51 IST
Reason: SelfAttested